

परियोजना का नाम:-

राज्य योजना के अन्तर्गत मा0 मुख्यमंत्री की घोषणा में जनपद चमोली में विधानसभा क्षेत्र कर्णप्रयाग में बौला से श्रीकोट तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.280 हे० वन पंचायत भूमि एवं मक डिस्पोजल हेतु 0.040 हे० कुल भूमि 0.320 हे० लो०नि०वि० को हस्तान्तरण प्रस्ताव।

कार्य प्रारम्भ न होने का प्रमाण-पत्र

वेत

प्रमाणित किया जाता है कि प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित भूमि पर अभी तक कोई निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया है। भारत सरकार से वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।


अमीन


कनिष्ठा अभियन्ता

अस्थाई खण्ड लो०नि०वि०

गौचर


पटवारी क्षेत्र
श्रीकोट


तहसीलदार
कर्णप्रयाग


सहायक अभियन्ता

अस्थाई खण्ड लो०नि०वि०

गौचर


उप जिलाधिकारी
कर्णप्रयाग (चमोली)

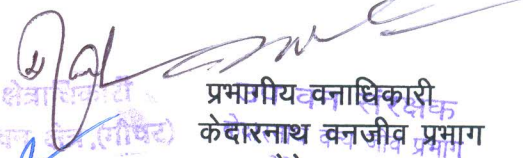

अधिशाली अभियन्ता

अस्थाई खण्ड लो०नि०वि०

गौचर


जिलाधिकारी
चमोली


उप जिलाधिकारी
गौचर (गोपेश्वर)


वन क्षेत्राधिकारी
वनपुर बा. (चमोली)
प्रभागीय वनाधिकारी
केदारनाथ वनजीव प्रभाग
गोपेश्वर (चमोली)

योग
37
37